भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- †5241

उत्तर देने की तारीख- 04/04/2022

अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी

†5241. श्री कराडी सनगन्ना अमरप्पा:

श्री एस. मुनिस्वामी:

श्री बी.वाई राघवेन्द्र:

श्री अण्णासाहेब शंकर जोल्ले:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निकट अतीत में ऐसी जनजातियां मिली हैं जो जनजातीय कार्य मंत्रालय की अनुसूची के अनुसार इस श्रेणी में नहीं आते हैं;

(ख) क्या इस उद्देश्य के लिए सहयाद्रि से लेकर उत्तर-पूर्व क्षेत्रों, हिमालय के सभी भीतरी वन क्षेत्रों तथा पर्वतीय क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया; और

(ग) क्या सरकार का विचार उपरोक्त उद्देश्य के अंतर्गत सभी लोगों/जनजातियों को मुख्यधारा में लाने के लिए साहसिक व्यक्तियों को संलग्न करने का है ताकि उन्हें मुख्यधारा में लाया जा सके और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री बिश्वेश्वर टुडु)

(क) से (ग): जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में किसी समुदाय को विनिर्दिष्ट करने के लिए नोडल मंत्रालय है।

भारत के संविधान का अनुच्छेद 366 (25), अनुसूचित जनजातियों को उन समुदायों के रूप में संदर्भित करता है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के अनुसार अनुसूचित हैं।

अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के मामले में पालन की जाने वाली प्रक्रिया को निर्धारित करता है। इस संबंध में, भारत सरकार ने 15.6.1999 (25.6.2002 को यथा संशोधितको अनुसूचित जातियों (तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची को निर्दिष्ट करने वाले आदेशों में उनकी सूची में समावेशन, सूची से अपवर्जन और अन्य संशोधनों के दावों का निर्णय करने हेतु प्रविधियां निर्धारित की हैं। इन प्रविधियों के अनुसार, केवल उन प्रस्तावों पर विधान के संशोधन के लिए विचार किया जाता है जिसे संबंधित राज्य सरकार श की जाती है तथा भारत केसंघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा न्यायोचित माना जाता है एवं इसकी सिफारि/ महापंजीयक द्वारा सहमति प्राप्त होती है। (एनसीएसटी) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (आरजीआई) सभी कार्रवाई इन अनुमोदित प्रविधियों के अनुसार की जाती है।

*****